

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 287 FP/UK/ROAD/10660/2015 दिनांक: देहरादून 23 जुलाई 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आर0आई0,
देहरादून।

विषय:- जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम गूलर से विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उप संस्थान के वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती, के पत्रांक 2993/12-1(2) दिनांक 10-06-2016 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है


क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The Proposal is of non-linear nature but entry has been made by the user agency in linear category need to be corrected.	उक्त प्रस्ताव में ऑन लाईन लीनियर श्रेणी से नॉन लीनियर श्रेणी प्रस्ताव के पार्ट-1 में कर दिया गया है।
2	Authority letter is not issued for the applicant in part-I	अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑथोरिटी पत्र पूर्व में ही भाग-1 में संलग्न किया गया है।
3	The FRA certificate through provided in the hard copy and as additional document in part-I but the same has not been uploaded in the designated place with all annexure in Part-I this may be done	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 का सम्पूर्ण प्रपत्र भाग-1 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	The NPV calculation is not provided as an additional document.	एन0पी0वी0 की गणना का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के एडीसनल इनफार्मेशन कॉलम में प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।
5	Component wise breakup of the proposed construction is not provided in part-I. The area involved for the construction of each component may be uploaded in online part-I answer the same may be provided as an additional document alongwith dimensions for each component.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव के भाग-1 में ऑन लाईन बी 2.4 कॉलम में प्रस्तावित परियोजना का घटकवार विभाजन विवरण अपलोड कर दिया गया है।

f

6	Justification for locating the project in forest land is not provided in part-I The State Govt may provide detail justification indicating why can't the project shift to some non forest land instead of reserve forest.	प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु आस-पास कोई भी अन्य उपर्युक्त स्थल न होने के कारण ही परियोजना हेतु वन भूमि का चयन किया गया है।
7	CA Stipulation is the district is not commensurate with the total forest land diverted need clarification and necessary correction.	उक्त बिन्दु का निवारण प्रस्ताव के भाग-2 के कॉलम 14 में सी0ए0 शर्त के अनुसार सुधार कर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये प्रपत्र में भरकर पृथक से संलग्न किया जा रहा है।
8	Working Plan Prescription provided in Part-II is not sufficient may give some more details.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना सिंगटाली कक्ष संख्या-01 के अन्तर्गत पड़ता है जिसे प्रभागीय कार्यवृत्त योजना के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक प्रबन्धन कार्यवृत्त में रखा गया है। तथा प्रस्तावित कार्यवृत्त के अन्तर्गत वन वर्धनीय कार्यों का किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेफ्टा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in

Tel./Fax :- 0135 - 2442052

पत्रांक:- 2993 / 12-1(2) दिनांक, मुनिकीरेती,

10/06 / 2016

सेवामें,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत ग्राम गूलर से विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान के वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधिशासी अभियन्ता (उत्तराखण्ड सरकार का उपकम विद्युत वितरण खण्ड टिहरी के पत्र संख्या 1996/वि0वि0ख0टि0 दिनांक 04-06-2016।

महोदय,

नोडल कार्यालय से दिनांक 07-06-2016 को हुई दूरभाष वार्ता के क्रम में विषयक पत्र से भारत सरकार के (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दु संख्या-01, 02, 03, 05 एवं 06 का निराकरण प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र से प्रस्तुत किया गया है। जो आपको संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा इंगित कमियों का बिन्दुवार आख्या आख्या निम्नवत् है।

बिन्दु सं0	आपत्ति	निराकरण विवरण
1	2	3
01	The Proposal is of non-linear nature but entry has been made by the user agency in linear category need to be corrected.	उक्त प्रस्ताव में ऑन लाईन लीनियर श्रेणी से नॉन लीनियर श्रेणी कर दिया गया है।
02	Authority letter in not issued for the applicant in part-I.	अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑथोरटी पत्र पूर्व में ही भाग-1 में संलग्न किया गया है।
03	The FRA Certificate through provided in the hard copy and as additional document in part I. But the same has not been uploaded in the designated place with all annexure in Part I. This may be done.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एफ0आर0ए0 का सम्पूर्ण प्रपत्र भाग-1 में ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
04	The NPV calculation in not provided as an additional document.	एन0पी0वी0 की गणना प्रपत्र अतिरिक्त दस्तावेज कॉलम में अपलोड कर दी गयी है।
05	Component Wise breakup of the proposed construction is not provided in Part I. The area involved for the Construction of each component may be uploaded in online part I ans the same may be provided as an additional document alongwith dimensions for each component.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑन लाईन बी 2.4 कॉलम में प्रस्तावित परियोजना का घटकवार विभाजन विवरण भर दिया गया है।
06	Justification for locating the project in forest land in not provided in part I. The State Govt. may provide detail justification indicating why can't the project shift to some non forest land instead of reserve forest	प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु आस-पास कोई भी अन्य उपयुक्त स्थल न होने के कारण ही परियोजना हेतु वन भूमि का चयन किया गया है।

11C

07	CA Stipulation is the district is not commensurate with the total forest land diverted need clarification and necessary correction.	उक्त बिन्दु का निवारण ऑन लाईन भाग-2 के कॉलम 14 में सी0ए0 शर्त के अनुसार सुधार कर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिये गये प्रपत्र में भरकर पृथक से संलग्न किया जा रहा है।
08	Working Plan Prescription provided in Part II is not sufficient may give some more details.	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना सिंगटाली कक्ष संख्या-01 के अन्तर्गत पड़ता है जिसे प्रभागीय कार्यवृत्त योजना के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक प्रबन्धन कार्यवृत्त में रखा गया है। तथा प्रस्तावित कार्यवृत्त के अन्तर्गत वन वर्धनीय कार्यो का किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न-यथोपरि :-

भवदीय

(राहुल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 2993 / 12-1C3 दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

10-6-16

S. No.	Name of district	Geographical area of district (in ha.)	Forest area of district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of approved cases	CA including Penal CA stipulated (in ha.)		Progress of CA (in ha.)	
						In forest land	In non-forest land	In forest land	In non-forest land
1.	Tehri Garhwal	364200	143268	652.467	171	296.85	859.396	298	604.85

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(Govt. of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION, UPHRI
TEHRI GARHWAL
TELE. NO. 01376-233117
FAX NO. 01376-233117
E-Mail :- eeitdteh@yahoo.com



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम।
पता: उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०,
उपहरी, तहरी गढ़वाल।
फोन नं०: 01376-233117
फैक्स नं०: 01376-233117
ई-मेल: eeitdteh@yahoo.com

पत्रांक- 1396 / वि०वि०ख०टि० /

दिनांक / 4 / 6 / 16

विषय:- प्रस्ताव सं०- EP/UK/OTHERS/10660/2015 के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
मुनि की रेती
टिहरी गढ़वाल।

सहायक,

उपरोक्त विषयक उक्त प्रस्ताव जिसमें 33/11 के०वी० सब-स्टेशन का निर्माण स्थान मुलर में दोगी घट्टी-ब्लाक नरैन्दनगर के अन्तर्गत होना प्रस्तावित है एवं उक्त योजना अति महत्वपूर्ण है एवं इसमें व्यापक जन-लाभ भी होगा। अतः निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को शीघ्र ही सर्वोच्च स्तर की कृपा करे जिससे उक्त योजना का लाभ जन-मानस को हो सके। उक्त सन्दर्भ में विन्दुवार आपत्तियों का निराकरण निम्नवत् है-

- 1- उक्त प्रस्ताव को लीनियर श्रेणी से नॉन-लीनियर श्रेणी में कर दिया गया है।
- 2- आर्थरिटी पत्र संलग्न है।
- 3- सलग्न कर दिया है।
- 4- वन-विभाग से सम्बन्धित है।
- 5- लैण्ड यूज शैडयूल निम्नवत् है-

क०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल (वर्ग०मी०)
1-	स्विच यार्ड निर्माण कार्य	30	20	600
2-	एस०पी०आर० बिल्डिंग	14	8	112
3-	विद्युत मानाद्री मण्डार	20	15	300
4-	एप्रोच रोड	18	6	96
5-	विद्युत केबिल हेतु स्थान	46	2	92
				1200 (वर्ग०मी०)

- 6- उक्त विद्युत उपसंस्थान के निर्माण हेतु उक्त स्थान के आस-पास वाई में उपयुक्त स्थल न मिलने के कारण ही फॉरेस्ट-मुनि का चयन किया गया है।
- 7- वन-विभाग से सम्बन्धित है।
- 8- वन-विभाग से सम्बन्धित है।

भवदीय,

(शक्ति प्रसाद)
अधिसासी अभियन्ता